कार्यालय नगर पालिक निगम भिलाई

आकाश गंगा, सुपेला, जी.ई. रोड, भिलाई, जिला–दुर्ग (छ.ग.) 490023

फोन नं – 0788–2350125, ई–मेल : Bhilia-Nagar-Nigam@cg.gov.in

क/एफ–169/स्टे.आयु./2025/4124 — भिलाई, दिनांक 15/09/25

// आदेश //

नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 69(4) का उपयोग करते हुये निम्नानुसार कार्यवाही हेतु **श्री राजेन्द्र कुमार दोहरे, अपर आयुक्त, न.पा.नि. भिलाई** को आयुक्त की शक्तियां प्रत्यायोजित की जाती है :–

1. कार्यालयीन कार्य विभाजन आदेश क्रं./एफ–186/सा.प्र.वि./विविध/2025/1181, भिलाई दिनांक 04.09.2025 में उल्लेखित मुख्य कार्यालय के अधिकारी/कर्मचारी के आकस्मिक अवकाश सहित अन्य समस्त अवकाश एवं जोन कार्यालयों में पदस्थ अधिकारी/कर्मचारी के आकस्मिक अवकाश को छोड़कर अन्य समस्त अवकाश उचित माध्यम से प्रस्तुत किये जाने पर अधोहस्ताक्षरकर्ता के द्वारा स्वीकृति दी जायेगी, जोन कार्यालयों में पदस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों के आकस्मिक अवकाश की स्वीकृति संबंधित जोन आयुक्त द्वारा दी जाएगी।

   कार्यालयीन कार्य विभाजन आदेश क्रं./एफ–186/सा.प्र.वि./विविध/2025/1181, भिलाई दिनांक 04.09.2025 में उल्लेखित अधिकारी/कर्मचारी के अतिरिक्त अन्य तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के अर्जित/चिकित्सा (लघुकृत)/अन्य अवकाश की स्वीकृति नियमानुसार अपर आयुक्त द्वारा दी जा सकेगी।
2. तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के भविष्य निधि की अग्रिम राशि की स्वीकृति आयुक्त के अनुमोदन उपरांत अन्य दस्तावेजों में हस्ताक्षर हेतु अपर आयुक्त को अधिकृत किया जाता है।
3. तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के नियमित नियुक्ति उपरान्त सर्विस बुक का प्रमाणीकरण एवं हस्ताक्षर किये जाने, शैक्षणिक प्रमाण पत्रों के सत्यापन एवं जाति प्रमाण पत्र का सत्यापन आदि हेतु अपर आयुक्त को अधिकृत किया जाता है ।
4. नगर पालिक निगम भिलाई के सेवानिवृत्त/मृतक अधिकारियों/कर्मचारियों के परिवार कल्याण/समूह बीमा दावा भुगतान एवं अंतिम भुगतान के प्रकरणों एवं पास बुक में, बैंक एवं संचालनालय की ओर प्रेषित की जाने वाले पत्र में अपर आयुक्त हस्ताक्षर करेगें।
5. कर्मचारी/अधिकारी की आकस्मिक मृत्यु उपरांत अनुग्रह राशि की स्वीकृति कर सकेगें।
6. सेवानिवृत्त/मृतक अधिकारी–कर्मचारियों के प्रकरणों का नियंत्रण प्राधिकारी उपादान भुगतान अधिनियम 1972 एवं सहायक श्रमायुक्त, दुर्ग के पारित आदेशानुसार उपादान का भुगतान तथा साडा सेवा अवधि के पेंशन अंशदान की राशि स्वीकृत एवं भुगतान कर सकेंगे।
7. भविष्य निधि शाखा एवं पेंशन शाखा के कार्यो का त्वरित सुचारू रूप से संचालन हेतु सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों से संबंधित समस्त दस्तावेजों/पेंशन/परिवार पेंशन/पेंशन बुकलेट/परिवार कल्याण बुक/भविष्य निधि पासबुक/एन.पी.एस. पासबुक तथा मृतक अधिकारी/कर्मचारी के अंतिम भुगतान से संबंधित समस्त दस्तावेजों में सत्यापित/हस्ताक्षर कर प्रमाणित किये जाने हेतु अपर आयुक्त को अधिकृत किया जाता है।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा ।

(राजीव कुमार पाण्डेय)
रा.प्र.से.

आयुक्त
नगर पालिक निगम
भिलाई

पृ. क/एफ–166/स्टे.आयु./2025/4125 भिलाई, दिनांक 15/09/25

प्रतिलिपिः–

1. महापौर/सभापति महोदय, नगरपालिक निगम भिलाई को सादर सूचनार्थ।
2. अपर आयुक्त, नगरपालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
3. मुख्य अभियंता, नगरपालिक निगम भिलाई को सूचनार्थ।
4. अधीक्षण अभियंता I/II, नगरपालिक निगम भिलाई को सूचनार्थ।
5. उपायुक्त नगरपालिक निगम भिलाई को सूचनार्थ।
6. जोन आयुक्त/कार्यपालन अभियंता, जोन–1,2,3,4 एवं 5, जलकार्य/ वाहन/स्टोर्स/ उद्यान/ कम्प्युटर/ भवन संधारण, नगरपालिक निगम भिलाई को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
7. सर्व संबंधित विभाग प्रमुख.. नगरपालिक निगम भिलाई को सूचनार्थ व पालनार्थ।
8. अधीक्षक स्थापना, नगरपालिक निगम भिलाई को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

आयुक्त
नगर पालिक निगम
भिलाई